(वाद सं0–2323/4/21/2020)

16.03.2022

परिवादी, मंगल कुमार साह, उपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी को भूमिहीन एवं विकलांग होने के आधार पर इन्दिरा आवास योजना का लाभ तथा राशन कार्ड उपलब्ध कराने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि वह विकलांग है तथा मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। उसके पास कोई जमीन नहीं है। वह अपने परिवार के साथ किराये के मकान में रहता है। उसकी ओर से कई बार अंचलाधिकारी, फुलपरास तथा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को भूमि का पर्चा, इन्दिरा आवास योजना एवं राशन कार्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, लेकिन संबंधित प्राधिकारों द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। परिवादी का कथन है कि सरकार द्वारा उसके मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास व अंचलाधिकारी, फुलपरास के प्रतिवेदनानुसार आवेदक वर्त्तमान में अपने परिवार के साथ किराये के मकान में रह रहा है। अंचलाधिकारी, फुलपरास को भूमि का पर्चा देने का अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रतिवेदनानुसार आवेदक चाहें तो राशन कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत आवास एवं भूमि का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, फुलपरास में आवेदन दे सकते है।

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी का कथन है कि उसे राशन कार्ड उपलब्ध करा दी गयी है। परिवादी का यह भी कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास के समक्ष भूमि के पर्चा हेतु आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन इस पर संबंधित प्राधिकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

अब, जबकि परिवादी को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है साथ ही साथ परिवादी द्वारा भूमि के पर्चा हेतु सक्षम प्राधिकार को आवेदन दिया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी, मधुबनी से अनुरोध है कि अगर परिवादी पर्चा प्राप्त करने के निमित सभी शर्तों को पूर्ण करते है तो प्राथमिकता के आधार पर उसके अनुरोध पर विचार करते हुए उसे लाभान्वित किया जाय।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी को भेजते हुए जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नक सहित संलग्न कर परिवादी को भी सूचनार्थ भेज दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक